Phone & Fax 0135-2658294, E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in

# कार्यालय–वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

International Year of Cooperatives 2025

पत्रांकः–3051 / 12–1 दिनांक 22 अप्रैल, 2025।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– **जनपद देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) परिसर कक्ष सं0–1 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.41 है0 वन भूमि का नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।** (Online No-FP/UK/SCH/40755/2019)

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या–8बी / यू.सी.पी. / 09 / 08 / 2021 / एफ0सी0 / 1219, दिनांक 21.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक– 6572 / 12–1 दिनांक–16 / 04 / 2025 से बिन्दुवार सूचना / आख्या निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है:–

| Sl. | EDS | Reply |
|---|---|---|
| 1 | राज्य शासन अनुसार विद्यालय भवन का निर्माण वर्ष 1978 में किया गया था। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत करें। | प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उन्हे पुराने अभिलेखों से एक रजिस्टर की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसमें **04 अगस्त 1978** को प्रथम सत्र के प्रवेशों का विवरण दर्ज है **(संलग्न–01)**। इस रजिस्टर की मूल प्रति विद्यालय प्रशासन के अभिलेखों में संधारित है। यह सूचना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पार्ट–I के Additional Column में अपलोड की गई है, इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा स्कूल बिल्डिंग का फ्लोर प्लान दिनांक **26.02.77** **(संलग्न–02)** एवं High School Building at IDPL Township Virbh के Ground Floor Plan (Extension) का मानचित्र भी **(संलग्न–03)** सलंग्न किया गया है जिसमें 20.06.84 की तिथि अंकित है। |
| 2 | विद्यालय निर्माण हेतु जो भूमि आवंटित की गई थी, उससे सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने का कष्ट करें। | केन्द्रीय विद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांक– 12.03.25 **(संलग्न–04)** के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना आई0डी0पी0एल0 के अनुरोध पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा वर्ष 1978 में की गयी थी। वर्ष 2000 में यह विद्यालय आई0डी0पी0एल0 की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण बंद हो गया था, जिसे स्थानीय जनता के प्रदर्शन के कारण जनहित में पुनः सिविल सेक्टर में आई0डी0पी0एल0 की सहमति से 2003 में खोला गया, तबसे आज तक यह विद्यालय सिविल सैक्टर के अन्तर्गत उक्त भूमि पर ही संचालित हो रहा है। इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि कथित केन्द्रीय विद्यालय के निर्माण के सम्बन्ध में कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है।<br>इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक–6208 / 12–1, दिनांक 26.03.2025 **(संलग्न–05)** से जनरल मैनेजर आई0डी0पी0एल0 को विद्यालय निर्माण हेतु आवंटित भूमि से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु लिखा गया, जिसके क्रम में आई0डी0पी0एल0 द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.03.2025 **(संलग्न–06)** से सूचित किया गया है कि प्रश्नगत केन्द्रीय विद्यालय |

| | | |
|---|---|---|
| | | की स्थापना प्रोजेक्ट सैक्टर के अन्तर्गत आई0डी0पी0एल0 ऋषिकेश प्लान्ट में वर्ष 1978 में की गयी है। |
| 3 | यदि पहाड़ी क्षेत्र के नार्मस् (1.62 है0) से अधिक क्षेत्र की आवश्यकता हो तो अनुरोध है कि वह शेष भूमि हेतु गैर–वन क्षेत्र का चयन करने का कष्ट करें। | प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त विद्यालय ऋषिकेश के मैदानी क्षेत्र में स्थित है एवं आई0डी0पी0एल0 के द्वारा उपलब्ध कराये गये पुराने भवन में संचालित है। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र (जो कि पूर्व में ही भारत सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका है) मे स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित वन भूमि सर्वदा उपयुक्त है एवं अर्बन क्षेत्र हेतु केन्द्रीय विद्यालय के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि (5 एकड़ अर्थात 2.10 है0) के नियम को पूर्ण करता है। आवेदित वन भूमि की मांग 2.41 है0 अर्थात 5.9 एकड़ है, क्योंकि इस भूमि में वर्तमान में विद्यालय का संचालन 1978 से होता आ रहा है तथा विद्यालय के चारों तरफ से बाउण्ड्रीवाल भी उपलब्ध है। अतः प्रस्तावित भूमि ही विद्यालय हेतु सर्वदा उपयुक्त है। |

अतः भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना/आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने पर विचार करना चाहें।

<u>संलग्नकः उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय,

**(राजीव धीमान)**
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

**पत्रांकः–** 3051 / **तद्‌दिनांकित।**

**प्रतिलिपिः–** प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

**(राजीव धीमान)**
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।